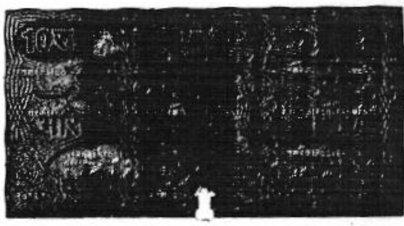

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मोतीमहल, ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक: /2017 छतरपुर R 335-I/17

1– सतीश कुमार असाटी तनय श्री भवानीदीन असाटी निवासी असाटी मोहल्ला, छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

2– रमेश कुमार सोनी तनय श्री नारायण दास सोनी निवासी सिटी कोतवाली के पास, छत्तरपुर तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.

———— आवेदकगण

बनाम

1– अर्पित सोनकिया तनय राकेश सोनकिया निवासी रामपुर तहसील व जिला छत्तरपुर

2– श्रीमती ऊषा पत्नी स्व. तेज सिंह यादव

3– सीमा यादव पुत्री स्व. तेज सिंह यादव

4– रामसिंह यादव तनय स्व. तेज सिंह यादव

5– विपिन यादव तनय स्व. तेज सिंह यादव (क्र 4 व 5 नाबालिग की सरपरस्त माँ श्रीमती ऊषा यादव पत्नी स्व. तेज सिंह यादव कमांक 2 लगायत 5 निवासी ग्राम धमौरा तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

6– नईम सौदागर पुत्र श्री धन्नू सौदागर निवासी वार्ड नं. 13 बसारी दरवाजा, छतरपुर म0प्र0

7– मध्य प्रदेश शासन

———— अनावेदकगण

D.K. Shukla
27-1-2017
(D.K. Shukla)
(Advocate)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता वास्ते निगरानी किये जाने बावत ।

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-335-एक/2017 जिला छतरपुर **सतीश विरूद्ध अर्पित**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018 28.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री डी.के.शुक्ला उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 28/अपील/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19-12-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता	

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य